प्राक्कथन

1- यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक परीक्षक द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अनुसार मध्यप्रदेश शासन को प्रस्तुत करने के लिये बनाया गया है।

2- यह प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया, भाग-प्रथम में शहरी स्थानीय निकाय और भाग-द्वितीय में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियाँ की गई है।

3- प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वर्ष 2010-11 में एवं पूर्व वर्षों की लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये लेनदेनों एवं लेखा प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा से संबंधित है लेकिन विगत प्रतिवेदनों में ये प्रकरण सम्मिलित नहीं हो सके। ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2010-11 से बाद के है आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये है।